संख्या-264/2023/1597/22-2-2022-17(1178)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2023*

विषय:- जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अवधेश मिश्रा पुत्र श्री शेषमणि मिश्रा, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-14703/प्रोबे-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक 09-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अवधेश मिश्रा पुत्र श्री शेषमणि मिश्रा, जो बृजमनगंज, थाना-बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज का निवासी है। बंदी द्वारा भाई दुर्गेश के इलाज में खर्च हुए पैसों की मांग भाभी से कर रहे थे, पैसे न दे पाने के कारण दिनांक 08.02.2011 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी भाभी को जला दिया, जिसकी इलाज के दौरान दिनांक 15.02.2011 को मृत्यु हो गयी तथा पत्नी को बचाते वक्त दुर्गेश खुद भी जल गया एवं दिनांक 16.02.2011 को उसकी भी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-91/2011 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय-प्रथम), महराजगंज के आदेश दिनांक 25.08.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 06.10.2021 तक 10 वर्ष, 04 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष, 07 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी की उम्र 38 वर्ष तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अवधेश मिश्रा (बन्दी संख्या-160/2017) पुत्र श्री शेषमणि मिश्रा, निवासी जनपद-महराजगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-264/2023/1597(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in